महत्वपूर्ण / बैठक दिनांक–13.05.2019

संख्या– 1275 / सैंतीस–2–2019–5(53) / 2018टी0सी0–3

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
वित्त, कृषि, आबकारी, सार्वजनिक उद्यम,
लोक निर्माण, नगर विकास, पंचायती राज एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ0प्र0शासन।

2– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास / रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3– सचिव,
गो सेवा आयोग, 10वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 10 मई, 2019

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं उनमें संरक्षित निराश्रित / बेसहारा गोवंश के भरण–पोषण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक–01.04.2019 में लिये गये निर्णय के कम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक–15.04.2019 के प्रस्तर–3.4 में निम्नवत उल्लेख है :–

"3.4 मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क / सेस से प्राप्त दो प्रतिशत धनराशि, आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाली स्पेशल फीस की धनराशि, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा टोल टैक्स से प्राप्त धनराशि को भी गो आश्रय स्थलों में भरण–पोषण विषयक जिलाधिकारियों की मांग के अनुरूप धनराशि का आवंटन पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा यह धनराशि उनके विभाग से सीधे जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।"

3– उक्त के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि राजस्व एकत्र करने वाले राजस्व विभाग सीधे धनराशि को पशुधन विभाग को हस्तान्तरित कर देंगे और पशुधन विभाग उनके संचालन व्यय आदि तथा अनुश्रवण करेगा। अतः आबकारी विभाग / मण्डी परिषद आदि को जिलाधिकारियों से कार्य की प्रगति व धनराशि आवंटित करने से मुक्त रखा जाय।

4– उक्त के संबंध में विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक–13.05.2019 को प्रातः 11.00 बजे लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में एक बैठक आहूत की गई है।

5– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

बैठक
अ0नि0(गो0वि0)/सं0नि0(गौशाला)

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1275(1) / सैंतीस–2–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

10-5-2019

1– विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

(2) Note Gen (Vinod)